

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 455] No. 455] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2013/फाल्गुन 9, 1934 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2013/PHALGUNA 9, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2013

का.आ. 492(अ).— यर्तः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर, 2010 की का.आ.सं. 2690(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपितयां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपितयों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और
- 3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।
- 4. अतः अब उक्त अधिनियम के खण्ड ।।-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। संशोधनः

जोन एल (पश्चिम दिल्ली -।।।) क्षेत्र का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है :

क्र.स	स्थान	क्षेत्र	भू उपयोग (एमपीडी- 2021)	निम्नलिखित के लिए भू-उपयोग का परिवर्तन	सीमाएं
1	टीकरी कलां गांव के पूर्व में	10.50	आर.डी-आवासीय	पी2- मनोरंजनात्मक	उत्तर :रोहतक रोड पूर्व : आवासीय दक्षिण:सुविधा गलियारा पश्चिम: टीकरी कलां गांव
2	झड़ौदा कलां गांव के दक्षिण में	40.70	ए2-हरित पट्टी	जी 3, सरकारी भूमि, (प्रयोग अनिर्धारित)	
3	झडौदा कलां गांव में हरित पट्टी/कृषि क्षेत्र	39.22	ए2-हरित पट्टी	जी 3 सरकारी भूमि, (प्रयोग अनिर्धारित)	उत्तरः मनोरंजनात्मक /निर्मित क्षेत्र पूर्वःपी.एस.पी.एवं सुविधा गलियारा दक्षिण:30 मी चौडी संडक / पीएसपी पश्चिमः सरकारी भूमि
4	ढांसा गांव के में उत्तर में	85.14	ए2-हरित पट्टी	जी 3 सरकारी भूमि, (प्रयोग अनिर्धारित)	उत्तरः मनोरंजनात्मक पूर्वः 45 मी चौडी सडक दक्षिणःमनोरंजनात्मक पश्चिमःमनोरंजनात्मक

[फा. सं. के-12011/3/जोन-एल/2010-डीडी-I] जे. पी. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Delhi Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2013

- **S.O. 492(E).** whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. No. 2690 (E) dated 1st November 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the dated of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area in Zone – L (West Delhi-III) is changed as per description listed below:

SI. No	Location	Area (Ha)	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
	1	2	3	4	5
1.	East of village Tikri Kalan	10.50	RD- Residential	P2- Recretional	North: Rohtak Road East: Residential South: Facility Corridor West: Village Tikri Kalan
2.	South of village Jharoda Kalan	40.70	A2-Green Belt	G3- Govt. land (Use undetermined)	North: Recreational East: 30 m wide road South: Govt. land West: 45 m wide road
3.	Agricultural Green Belt in the East of village Jharoda Kalan	39.22	A2-Green Belt	G3-Govt. land (use undetermined)	North: Recreational/ Built-up area East: PSP and (Facility Corridor) South: 30m wide road/ PSP West: Govt. land
4.	North of village Dhansa	85.14	A2—Green Belt	G3—Govt. land (use undetermined)	North: Recreational East: 45 m wide road South: Recreational West: Recreational

[F. No. K-12011/3/Zone-L/2010-DD-I]

J. P. AGRAWAL, Jt. Secy.